

राज्य योजना आयोग

उत्तराखण्ड शासन

नियोजन विभाग

संख्या- 93 / दो/-106(3)/रा0यो0आ0(46)/2019-20

देहरादून- दिनांक 15 जनवरी, 2020

निविदा विज्ञप्ति

राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कम्प्यूटर सैट, लैपटाॅप एवं पिंटर क्रय किये जाने हेतु इस कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या-1879/दो-106(3)/रा0यो0आ0(46)/ 2019-20 दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 से आमन्त्रित निविदा को निरस्त करते हुये पुनः पूर्व विज्ञप्ति के प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अनुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्यूरमेंट) नियमावली-2017 के अधीन निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अन्तर्गत इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त फर्मो/संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति नग (रूपये में)	जी०एस०टी० की दर प्रति नग
1	Desktop/ Tower Computer- 1- Operating System – Windows 2-Core i5,i7, -7 th / 8 th /9 th Gen, 3- HDD- 1 TB 4- RAM – 4 GB/ 8GB 5-Monitor – 18.5”		
2	Laptop- 1- Operating System – Windows 2-Core i5, i7- 8 th Gen, 3- HDD- 1 TB 4- RAM – 8GB , 14”		
3	Laser Printer – Multifuction (Print/Copy/Scan/Fax) / with Wireless Connectivity		
4	Laser Printer –with Wireless Connectivity		
5	Multifunction Printer (Mobile)- (Print/Copy/Scan/Fax) 1-Up to 20/19 ppm(Draft)/10/7 ppm(ISO) (Blk/Clr) 2-Duty Cycle up to 500 pages per 3-2.65” CGD DISPLAY, IR Touch, USB 2.0		

device, 1USB2.0 host, Wireless,wifi direct, processor speed-700 MHz, 4-Memory -256 MB DDR3		
---	--	--

- 1- निविदादाता फर्म व्यापार कर/ आयकर में पंजीकृत होनी आवश्यक है।
- 2- निविदा प्रपत्र दिनांक 16.01.2020 से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय राज्य योजना आयोग, विश्वकर्मा भवन, चतुर्थ तल, कमरा नं0-413, सचिवालय परिसर, देहरादून से रू0 590.00(पांच सौ नव्वे मात्र) सभी कर सहित नकद भुगतान करने पर क्रय की जा सकती है।
- 3- निविदा के साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में रू0 10000.00 की जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- 4- निविदा सील बंद बडे लिफाफे में अलग-अलग तकनीक निविदा व वित्तीय निविदा के रूप में दिनांक 31.01.2020 के अपराह्न 2.30 बजे तक कार्यालय में जमा की जायेगी तथा इसी तिथि को सांय 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5- निविदादाता फर्म को सम्बन्धित सामग्री का अधिकृत बिक्रेता होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 6- निविदादाता फर्म को आयकर एवं व्यापार कर में पंजीकृत होनी आवश्यक होगा।
- 7- चयनित निविदादाता द्वारा निविदा की दर एवं शर्तों के अधीन सामग्री की आपूर्ति 15 दिन में करनी आवश्यक होगी।
- 8- चयनित निविदादाता फर्म की जमानत धनराशि आपूर्ति के 01 वर्ष तक बन्धक रहेगी।
- 9- निविदा समिति को गुणावगुण के आधार पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निहित होगा।
- 10- उक्त विज्ञापन राज्य योजना आयोग की वैबसाईड WWW.spc.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संयुक्त निदेशक।